डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ. रायपुर/17/2001.



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 जनवरी 2002—माघ 9, शक 1923

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ.ए.-3-1/2001/1/(एक)/145.—शासन कार्य (आवंटन) नियम-4 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, नीचे तालिका के कॉलम (2) में बताये मंत्री/राज्यमंत्री को कॉलम (4) में उल्लेखित विभाग का प्रभार सौंपते हैं :—

स.क्र. (1)	मंत्री/राज्यमंत्री का नाम (2)	वर्तमान प्रभार (3)	नवीन प्रभार (4)
1.	श्री रविन्द्र चौबे मंत्री	लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन और विकास, संसदीय कार्य तथा विधि एवं विधायी कार्य.	आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन और विकास, संसदीय कार्य तथा विधि एवं विधायी कार्य.
2.	श्री धनेश पाटिला मंत्री	जल संसाधन तथा ऊर्जा एवं आयाकट	ऊर्जा
3.	श्री भूपेश बघेल मंत्री	राजस्व, पुनर्वास, राहत कार्य तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.	राजस्व, पुनर्वास तथा राहत कार्य

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री तरुण प्रसाद चटर्जी मंत्री	-	लोक निर्माण
5.	श्री तुलेश्वर सिंह राज्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, जन शिकायत निवारण, वन, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास
6.	श्री गंगूराम बघेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	-	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
7.	डॉ. शक्राजीत नायक राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	-	जल संसाधन तथा आयाकट
8.	श्री विक्रम भगत राज्यमंत्री	-	सामान्य प्रशासन, जन शिकायत निवारण, वन, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2002

क्रमांक एफ. ए.-3-1/2001/1/(एक) /146.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 जनवरी, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार, मुख्य सचिव.

Raipur, the 29th January 2002

NOTIFICATION

No. F. A. 3-1/2001/1(1)/GAD/145.—In pursuance of Rule-4 of Business Allocation Rules , the Governor of Chhattisgarh, hereby allocates the Charge of department mentioned in table-4 below to the Ministers/Ministers of State mentioned in column (2) :—

S. No. (1)	Name of Minister (2)	Present Charge (3)	New Charge (4)
1.	Shri Ravindra Choubey Minister	Public Works, Housing and Environment, Urban Admn. & Development, Parliamentary affairs, Law & Legislative affairs.	Housing and Environment, Urban Admn. & Development, Parliamentary affairs, Law & Legislative affairs.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Shri Dhanesh Patila Minister	Water Resources, Energy and Ayacut.	Energy
3.	Shri Bhupesh Baghel Minister	Revenue Rehabilitation, Relief Works and Public Health Engineering.	Revenue, Rehabilitation and Relief Works.
4.	Shri Tarun Prasad Chatterji, Minister	-	Public Works
5.	Shri Tuleshwar Singh State Minister	G.A.D., Redresal of Public grievances, Forest, Environment, Public Health & Family Welfare, Medical Education.	Panchayat & Rural Development
6.	Shri Gangu Ram Baghel State Minister (Independent Charge)	-	Public Health Engineering
7.	Dr. Shakrajit Nayak State Minister (Independent Charge)	-	Water Resources and Ayacut
8.	Shri Vikram Bhagat State Minister	-	G.A.D., Redresal of Public grievances, Forest, Environment, Public Health & Family Welfare and Medical Education.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARUN KUMAR, Chief Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002